छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-07

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024

(माघ 24, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 04 के प्रश्नकर्ता सदस्य डॉ. चरणदास महंत के स्थान पर श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य अधिकृत रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 45 तारांकित एवं 59 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य ने कतर देश द्वारा 8 भारतीयों की मृत्युदण्ड की सजा को माफ किये जाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उनके द्वारा किये गये प्रयास के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।)

2. पृच्छा

माननीय सदस्य श्री अटल श्रीवास्तव, ने किसानों की समस्या, माननीय सदस्य सर्वश्री लालजीत सिंह राठिया, भोलाराम साहू ने लो-वोल्टज की समस्या, श्री दिलीप लहरिया सदस्य ने मूर्ति चोरी की घटना का उल्लेख किया । माननीय सदस्या श्रीमती संगीता सिन्हा ने मासूम बच्ची

के साथ हुई घटना के संबंध में उनके द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण को ग्राह्य करने का माननीय अध्यक्ष से आग्रह किया ।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य श्री दलेश्वर साहू द्वारा डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्रांतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दौरे हेतु सुरक्षा दिये जाने विषयक उनकी ध्यानाकर्षण सूचना को ग्राह्य किये जाने हेतु आग्रह किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) एफ 5-5/आठ.परि./2022, दिनांक 1 अगस्त, 2023,

(ii) एफ 5-7/आठ.परि./2022, दिनांक 18 जुलाई, 2023,

(iii) एफ 5-11/आठ.परि./2022, दिनांक 14 जुलाई, 2023, तथा

(2) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे खण्ड 1 एवं खण्ड 2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन,

पटल पर रखे।

4. सदन को सूचना

"स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन"

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा भवन स्थित ऐलोपैथिक चिकित्सालय में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 14 से 16 फरवरी, 2024 तक 'स्वास्थ्य परीक्षण शिविर' आयोजित है । कृपया, माननीय सदस्य प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लेवें ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्रीमती गोमती साय, सदस्य ने कुनकुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-दुलदुला स्थित श्री नदी में उच्चस्तरीय पुलिया निर्माण कार्य रोके जाने से हो रही परेशानियों की ओर उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं की ओर उप मुख्यमंत्री, गृह का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया ।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्रीमती गोमती साय

7. वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण

श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य ने पुनर्ग्रहित चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

8.व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय सदस्य श्री कुंवर सिंह निषाद द्वारा अपनी बात को गायन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या ऐसा गायन, जिस गायन की यह प्रस्तुति कर रहे थे, इसको विधान सभा में अनुमति दे दी गई है? यदि इस संबंध में अनुमति नहीं है या स्थायी आदेश परम्पराओं एवं नियमों में शामिल नहीं है तो फिर इस तरह की अभिव्यक्ति कैसे हो रही है ?

माननीय सभापति ने इस पर पश्चात् व्यवस्था देने की बात की ।

9. वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, रामकुमार यादव,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

(1.46 बजे से 3.00 बजे तक भोजनावकाश हेतु अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

10. वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, इन्द्रशाह मण्डावी,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री इन्द्र कुमार साहू,

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विक्रम मण्डावी, मोती लाल साहू, राघवेन्द्र सिंह, श्रीमती गोमती साय,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, नीलकंठ टेकाम, श्रीमती चातुरी नंद, श्री पुरंदर मिश्रा

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पदक्रम-4 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री रामकुमार टोप्पो, श्रीमती अनिला भेंडिया,

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय सदस्य श्री कुंवर सिंह निषाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के दौरान अपना उद्-बोधन गायन करते हुए प्रस्तुत करने के संबंध में व्यवस्था चाही गई थी कि क्या

इसकी सभा में अनुमति दी गई है ? हां या नहीं । तत्संबंध में मैंने संबंधित कार्यवाही का अवलोकन किया । विषय में मेरी व्यवस्था निम्नानुसार है :-

सभा में श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य के उद्-बोधन के समय भी आसंदी द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि गाने के माध्यम के अलावा आप दूसरे रूप में भी अपनी बात को कह सकते हैं गायन के माध्यम से उद्-बोधन की परम्परा नहीं रही है । इस प्रकार मैं समझता हूं कि आसंदी द्वारा तत्समय ही स्पष्ट कर दिया गया था । तथापि इस संबंध मेरी यह व्यवस्था है कि कृपया सभा में अपनी बात रखते समय संदर्भ के रूप में कविता, श्लोक, शेरो-शायरी आदि के अंशों का उल्लेख तो किया जा सकता है, लेकिन अपना संपूर्ण उद्-बोधन गायन करते हुए व्यक्त किया जाना, सभा के न नियम हैं न परम्परा है ।

सायं 6.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024 (माघ-25, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा